भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3107

(जिसका उत्तर मंगलवार**,** 28 **मार्च, 2023/**07 **चैत्र, 194**5 **(**शक**)** को दिया जाना है)

डीएपीएससी और डीएपीएसटी के तहत बजट आवंटन

3107. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के लिए आवंटित किए गए बजट का मंत्रालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित बजट के उपयोग का मंत्रालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशतता के अनुसार डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत बजट आवंटित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के लिए बजट आबंटन के दिशा-निर्देश नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं और तदनुसार संबंधित विभागों द्वारा अंतिम आबंटन किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के लिए, डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत बजट आबंटनों और उपयोगों का मंत्रालय-वार और वर्ष-वार ब्योरा संबंधित वर्षों के व्यय का विवरण 10-क और 10-ख में उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाध्य किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों के लिए दायित्व के अलग-अलग प्रतिशत की परिकल्पना की गई है। दायित्व का प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम 8.3% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 4.3% से लेकर अनुसूचित जातियों के लिए अधिकतम 25% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 17.5% तक है, विगत वर्षों में आबंटन का प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात के करीब था।
